रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273396
CG-DL-E-12062026-273396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2916] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948
No. 2916] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

का.आ. 3022(अ).— पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा .नि.का. 662 (अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 और सा .नि.का. 370 (अ), दिनांक 9 फरवरी, 2010 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों तथा तमिलनाडु राज्य के संबंध में पुलिस आयुक्तों (चेन्नई सिटी, चेन्नई उपनगरीय, कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, तिरुनेलवेली और सलेम) तथा उक्त राज्य के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को यह प्राधिकृत करती है कि वे अपने-अपने प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराधों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, उस लोक सेवक को छोड़कर जिसे उसके पद से सरकार द्वारा या उसकी स्वीकृति के बिना हटाया नहीं जा सकता, अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करें।

2 जब किसी व्यक्ति पर, जो लोक सेवक है या था, जिसे सरकार द्वारा या उसकी स्वीकृति से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी ऐसा अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान – उसके सिवाय

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था — केंद्र सरकार की ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था— उस राज्य सरकार की,

पूर्व स्वीकृति से ही करेगा, अन्यथा नहीं ;

[फा. सं.: वी/विज. II/551/10/2023]

बी. एस. मुबारक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2026

S.O. 3022(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of External Affairs number G.S.R. 662 (E), dated the 1st December, 1979 and G.S.R. 370 (E), dated the 9th February, 2010, the Central Government hereby authorises all State Governments, the Administrators of the Union territories, and in respect of the State of Tamilnadu, the Commissioners of Police (Chennai City, Chennai Sub-urban, Coimbatore, Tiruchirappalli, Madurai, Tirunelveli and Salem) and the District Collectors of all the districts in the said State, to sanction prosecution within their respective territorial jurisdictions in respect of the offences under section 12 of the said Act against any person, except a public servant not removable from his office save by or with the sanction of the Government.

2. When any person, who is or was a public servant, not removable from his office save by or with the sanction of the Government, is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognizance of such offence, except with the previous sanction,—

(*a*) in the case of a person who is employed or, as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed, in connection with the affairs of the Union, of the Central Government;

(*b*) in the case of a person who is employed or, as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed, in connection with the affairs of a State, of the State Government.

[F. No. V/Vig. II/551/10/2023]

B. S. MUBARAK, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.12 22:40:55 +05'30'